1

बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

प्रेस नोट

वित्तीय वर्ष 2025–26 से प्री–मैट्रिक (विद्यालय) छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत निर्धारित वार्षिक छात्रवृत्ति दर को संशोधित करते हुए कक्षा–I से IV तक ₹ 1200/– वार्षिक, कक्षा–V से VI तक ₹2400/– वार्षिक, कक्षा–VII से X तक ₹3600/– वार्षिक, कक्षा I से X तक (छात्रावासी) ₹6000/– वार्षिक पुनर्निर्धारित किये जाने एवं दर संशोधन के फलस्वरूप कुल अनुमानित वार्षिक व्यय ₹519.64 करोड़ (पाँच सौ उन्नीस करोड़ चौसठ लाख रू0) मात्र की स्वीकृति।

वर्ष 2011 में छात्रवृत्ति दर कक्षा–I से IV तक के लिए ₹600/–, कक्षा–V से VI के लिए ₹1200/– तथा कक्षा–VII से X तक के लिए ₹1800/– वार्षिक एवं कक्षा I से X तक छात्रावासी के लिए ₹3000/– वार्षिक निर्धारित की गई थी जिसे वर्त्तमान में दुगना किया गया है।

वर्ग I से X तक सरकारी विद्यालयों, स्थायी मान्यता प्राप्त एवं स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय होगी। स्वीकृत राशि से लगभग 27 लाख छात्र–छात्राओं को लाभांवित किया जाएगा।

(संदीप कुमार आर. पुडकलकट्टी)
सरकार के सचिव

बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

प्रेस नोट

वित्तीय वर्ष 2025–26 से भारत सरकार की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना तथा राज्य स्कीम से संचालित मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिये दर की अधिकतम सीमा निर्धारित करने हेतु निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–4061 दिनांक–16.05.2016 में देय शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क की अधिकतम सीमा में संशोधन की स्वीकृति।

(संदीप कुमार आर. पुडकलकट्टी)
सरकार के सचिव
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

E/Rajesh Sir/Post-Matric/ Rate Revision Sankalp

(3)

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

।। प्रेस नोट ।।

बिहार एक आपदा प्रवण राज्य है, जो एक ओर बाढ़, भूकम्प, अग्निकांड, वज्रपात, शीतलहर, लू आदि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होता है, वहीं दूसरी ओर मानव जनित आपदाओं यथा सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, नौका दुर्घटना, गैस रिसाव आदि का भी खतरा बना रहता है। उक्त परिस्थितियों के मद्देनजर एक समग्र, समन्वित एवं दीर्घकालिक दृष्टिकोण को समाहित करने हेतु पूर्व में निर्मित बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015–30 में संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई।

उक्त संदर्भ में संशोधित बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2025–30 का सूत्रण किया गया है, जिसमें मुख्य विशेषताएँ निम्न हैं:–

i. संशोधित आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2025–30 के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मशीन लर्निंग (ML), आगुमेन्टेड रियालिटी (AR) व वर्चुअल रियालिटी को शामिल करते हुए रोकथाम (Prevention), न्यूनीकरण (Mitigation) एवं पूर्व तैयारियों (Preparedness) के साथ जलवायु परिवर्तन, शहरी इलाकों में बाढ़ एवं अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए Build Back Better Bihar के सिद्धांत पर कार्य करना।

ii. सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीति को राज्य के विकास के एजेंडा में शामिल करना।

iii. आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित नीति/रणनीति में कमजोर वर्गों जैसे: दिव्यांग, महिलाओं, बच्चों, ट्रांसजेंडर तथा वंचित समुदायों के हिस्सेदारी को प्राथमिकता के आधार पर शामिल करना।

iv. हितभागियों के लिए व्यापक क्षमतावर्धन विकसित किया जाना।

v. नवीनतम तकनीक आधारित पर्यवेक्षण व मूल्यांकन की व्यवस्था करना

संशोधित बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2025–30 (Revised Bihar DRR Roadmap 2025-30) के प्रारूप पर राज्य मंत्रीपरिषद् के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

(डॉ0 चन्द्रशेखर सिंह)
सचिव,
आपदा प्रबंधन विभाग,
बिहार, पटना।

(4)

बिहार सरकार
उच्च शिक्षा विभाग

संचिका संख्या–15 / पी 5–05 / 2025

प्रेस नोट

भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ के नाम पर बक्सर जिले के डुमराँव में संगीत महाविद्यालय की स्थापना हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–302 दिनांक 24.02.2025 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कुल राशि रू0 14,52,15,000 (चौदह करोड़ बावन लाख पन्द्रह हजार रूपये) मात्र की योजना की स्वीकृति रद्द करते हुए राज्य स्कीम अन्तर्गत प्रस्तावित इस संगीत महाविद्यालय के विभिन्न भवनों (फर्नीचर सहित), आंतरिक पथ एवं चाहरदीवारी के निर्माण हेतु कुल रू० 87,81,43,400 / – (सत्तासी करोड़ इक्यासी लाख तैंतालीस हजार चार सौ रूपये) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा रही है। इस महाविद्यालय के स्थापित होने से राज्य के विद्यार्थियों को संगीत विषय की विविध विधाओं की शिक्षा प्रदान किया जा सकेगा।

(राजीव रौशन)
सचिव

5

बिहार सरकार
उच्च शिक्षा विभाग

संचिका संख्या – 19/एम 1–121/2025

प्रेस नोट

नवगठित उच्च शिक्षा विभाग के कार्यों के संपादन हेतु इस विभाग के सचिवालय के अन्तर्गत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के कुल 161 (एक सौ एकसठ) पदों के सृजन तथा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित उच्च शिक्षा निदेशालय को कार्यबल सहित वर्तमान स्वरूप में उच्च शिक्षा विभाग में अंगीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

पदों के सृजन के फलस्वरूप नवगठित उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सात निश्चय 3 (2025–30) के अन्तर्गत समाहित किये गये निश्चयों सहित विभाग के अन्य कार्य सम्यक् रूप से संचालित किए जा सकेंगे।

(राजीव रौशन)
सचिव

6

बिहार सरकार
गृह विभाग (आरक्षी शाखा)

प्रेस–नोट

पटना जिलान्तर्गत बिहार विशेष सशस्त्र बल–01, गोरखा वाहिनी के स्थापना एवं आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु अंचल–नौबतपुर, मौजा–चर्रा, थाना नं0–139 अन्तर्गत रकवा– 30.00 एकड़ चिन्हित भूमि का MVR-2016-17 के आधार पर भू–अर्जन के निमित्त अनुमानित प्राक्कलित राशि ₹ 40,54,41,038 (चालीस करोड़ चौवन लाख इकतालीस हजार अड़तीस रू0) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(प्रणव कुमार)
सचिव

(7)

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

प्रेस नोट

बिहार पुलिस के अन्तर्गत गठित स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (**Special Auxiliary Police**) को आदेश निर्गत की तिथि से वर्द्धित मानदेय का भुगतान करने तथा बिहार पुलिस की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि एवं उग्रवादियों व संगठित अपराधियों के विरूद्ध छापेमारी में त्वरित कार्रवाई तथा अपराध नियंत्रण, उग्रवाद निरोध एवं विधि–व्यवस्था संधारण में अपेक्षित सहायता हेतु वर्तमान में कार्यरत सैप जवान के अनुबंध विस्तारीकरण सहित वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु कुल 17000 पदों पर भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिक (**Ex-Army**) एवं केन्द्रीय सशस्त्र पुलिसबल के सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बलों (**Ex-Paramilitary, CAPF**) को सैप बल के रूप में अनुबंध पर रखने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

सरकार के सचिव
गृह विभाग,
बिहार, पटना

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग

(8)

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम–131 ज्ञ(छ) के आलोक में संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में टॉय ट्रेन के पुनः परिचालन के क्रम में नामांकन के आधार पर दानापुर रेल मंडल, पूर्व मध्य रेलवे के माध्यम से ब्रीज रिटेनिंग वॉल, ड्रेनेज सिस्टम एवं अन्य कार्य कराने हेतु कुल ₹581.73 लाख (पाँच करोड़ एकासी लाख तेहत्तर हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति का निर्णय लिया गया।

(आनन्द किशोर)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

14/70

9

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

प्रेस नोट

वित्तीय वर्ष 2025–26 से "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना" के अन्तर्गत निर्धारित छात्रावास अनुदान की दर रू0 1000/–(रू0 एक हजार) प्रति छात्र/छात्रा प्रति माह को संशोधित करते हुए रू0 2000/–(रू0 दो हजार) प्रति छात्र/छात्रा प्रति माह पुनर्निर्धारित किये जाने एवं छात्रावास अनुदान दर के पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप कुल अनुमानित वार्षिक व्यय रू0 19,56,00,000/– (रू0 उन्नीस करोड़ छप्पन लाख) मात्र की स्वीकृति।

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए संचालित "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना" के अन्तर्गत अनुदान दर के पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लगभग 8150 छात्र/छात्राएँ लाभान्वित हो सकेंगे।

दिनांक–01.01.2026 के प्रभाव से विभाग अन्तर्गत संचालित छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को रू0 1000/– के स्थान पर रू0 2000/–प्रति माह प्रति छात्र/छात्रा की दर से भुगतान किया जायेगा।

12/01/26

(एच0 आर0 श्रीनिवास)
अपर मुख्य सचिव।
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग
कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

44/70

10

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

प्रेस नोट

वित्तीय वर्ष 2026–27 से राज्य स्कीम के तहत संचालित मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना अंतर्गत पात्रता की शर्तों के तहत निर्धारित वार्षिक पारिवारिक आय अधिसीमा रू0 1,50,000/– मात्र को बढ़ाकर रू0 3,00,000/– मात्र किये जाने एवं योजना पुनरीक्षण के फलस्वरूप कुल अनुमानित वार्षिक व्यय रू0 1,17,98,40,000/–(रू0 एक सौ सत्रह करोड़ अंठानवे लाख चालीस हजार) मात्र की स्वीकृति।

पिछड़ा वर्ग के लिए संचालित मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के अन्तर्गत वार्षिक पारिवारिक आय अधिसीमा के पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप पिछड़ा वर्ग के अधिक से अधिक छात्र लाभान्वित हो सकेंगे।

7/2/01/26

(एच0 आर0 श्रीनिवास)
अपर मुख्य सचिव।
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग
कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

11

45/70

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

प्रेस नोट

वित्तीय वर्ष 2025–26 से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत निर्धारित वार्षिक छात्रवृत्ति दर को संशोधित करते हुए कक्षा–I से IV तक रू0 1200/– वार्षिक, कक्षा–V से VI तक रू0 2400/– वार्षिक, कक्षा–VII से X तक रू0 3600/– वार्षिक, कक्षा I से X तक (छात्रावासी) रू0 6000/– वार्षिक पुनर्निर्धारित किये जाने एवं छात्रवृत्ति दर के पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप कुल अनुमानित वार्षिक व्यय रू0 17,51,56,00,000/– (रू0 सत्रह सौ इक्यावन करोड़ छप्पन लाख) मात्र की स्वीकृति।

दिनांक–01.04.2025 के प्रभाव से राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में कक्षा–I से X तक अध्ययनरत् पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को दोगुणे दर पर छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।

12/01/26

(एच0 आर0 श्रीनिवास)

अपर मुख्य सचिव।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग

कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

D:\Puja Sinha 2024\Sanlekh Cabinet\Pre-matric Rate Revision.docx(m)

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

प्रेस नोट

राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संस्थान यथा–भारतीय बीज सहकारी समिति लि० (BBSSL) एवं राष्ट्रीय सहकारी जैविक लि० (NCOL) हेतु राज्य स्तर के सरकारी संस्थान क्रमशः बिहार राज्य बीज निगम (BRBN) तथा बिहार स्टेट सीड एण्ड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेन्सी (BSSOCA) को 'राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी' नामित किये जाने का प्रस्ताव है। इसका मुख्य उद्देश्य जैविक उत्पादों का एकत्रीकरण, खरीद, प्रमाणीकरण, परीक्षण एवं ब्रांडिंग इत्यादि है। साथ ही गुणवतापूर्ण बीज के उत्पादन, खरीद एवं विपणन के लिए पैक्स के माध्यम से कार्य किया जा रहा है जिससे किसानों को इसका व्यापक लाभ मिल सकेगा।

(धर्मेन्द्र सिंह) १५/०१
सरकार के सचिव,
सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

D:\VIJAY 7\Parkash Sir\Sanlekh BBSSL NCOL\SANLEKH BBSSL NCOL DT 21.08.2025\New Sanlekh BBSSL NCOL Final date 21-8-2025.docx

13

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

प्रेस नोट

दिव्यांगजनों से संबंधित सभी योजनाओं के प्रभावशाली कार्यान्वयन हेतु विभाग अंतर्गत एक पृथक निदेशालय–दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय का गठन किया गया है जिसके अधीनस्थ मुख्यालय एवं जिला स्तर पर सृजित पद के विरूद्ध दिव्यांगजन सेवा के पदाधिकारी कार्यरत हैं। इस सेवा का नियमावली गठित नहीं होने के कारण कार्यरत पदाधिकारियों की सेवा शर्तों के निर्धारण में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। उक्त के दृष्टिगत बिहार दिव्यांगजन सशक्तिकरण सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली गठित किया जाना आवश्यक है।

अतएव राज्य में दिव्यांगजनों से संबंधित सभी योजनाओं के प्रभावशाली कार्यान्वयन हेतु कार्यरत दिव्यांगजन सेवा के पदाधिकारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के निमित विभाग द्वारा तैयार "बिहार दिव्यांगजन सशक्तिकरण सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2026" (अनुलग्नक –1) पर स्वीकृति का प्रस्ताव है।

(**बन्दना प्रेयषी**)
सचिव,
समाज कल्याण विभाग

(14)

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

संचिका संख्याः– 08 / PM Shri.26–01 / 2026 (अंश)....

प्रेस नोट

केन्द्र प्रायोजित पी०एम० श्री योजना अर्न्तगत इसका उद्देश्य बिहार के लिए चयनित कुल 47 प्रारंभिक सरकारी विद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 (NEP-2020) के अनुरूप विकसित करना, कक्षा 01वीं–08वीं के विद्यार्थियों में आधुनिक शिक्षण, कौशल, नवाचार, तकनीकी साक्षरता को बढ़ावा देना है।

2. इस योजना के तहत उक्त विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, लैब, लाइब्रेरी की स्थापना की जायेगी, जिसके तहत् विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं कौशल आधारित शिक्षा प्रदान किया जायेगा। साथ हीं उक्त विद्यालयों के शिक्षकों को आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान करने से बेहतर शिक्षण–प्रणाली विकसित कर सकेंगे।

3. पी०एम० श्री योजना के तहत राज्य के लिए चयनित कुल 47 प्रारंभिक सरकारी विद्यालयों के संचालन पर होने वाले सभी प्रकार के व्यय का वहन केन्द्र एवं राज्य योजना निधि से केन्द्रांश एवं राज्यांश मद् अंतर्गत 60:40 के अनुपात में किया जायेगा। इस योजना का क्रियान्वयन बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के माध्यम से किया जाएगा।

(दिनेश कुमार)
सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

15

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेस–नोट

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दायर सिविल अपील सं0–3947/2020, रेजानिश के0वी0 बनाम के0 दीपा एवं अन्य तथा अन्य सदृश्य वादों में दिनांक 09.10.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–107566 दिनांक 22.12.2025 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में **बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026** की स्वीकृति का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है।

Rajesh 20.1.2026

(डॉ॰ बी॰ राजेन्दर)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

D:\sec7\07\Rules\Higher Judiciary rules 2026\Press Note.docx

(16)

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेस–नोट

महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–103385 दिनांक 15.12.2025 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में **"बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2026"** की स्वीकृति का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है।

Rajeev 27.1.2026

(डॉ॰ बी॰ राजेन्दर)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

17

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेस–नोट

महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–90164 दिनांक 07.11.2025 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में सोशल मिडिया पर न्यायिक पदाधिकारियों के आचरण को विनियमित करने के लिए **बिहार जुडिशियल ऑफिसर्स कन्डक्ट (1st एमेन्डमेंट) रूल्स, 2026** की स्वीकृति का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है।

Rajendr 27.1.2026

(डॉ॰ बी॰ राजेन्दर)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

D:\sec7\07\Rules\Bihar Judicial Officers Conduct Rules, 2026\Press Note.docx

बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग
<u>प्रेस नोट</u>

बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र (जी.सी.सी.) नीति–2026 की स्वीकृति।

नवाचार और उन्नत प्रौद्योगिकी के केंद्र के रूप में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का उदय भारत के ग्लोबल नॉलेज और नवाचार केंद्र के रूप में परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जी.सी.सी. का यह परिवर्तन चौथी औद्योगिक क्रांति (Industry 4.0) को आगे बढ़ा रहा है और वैश्विक औद्योगिक परिदृश्य को नया आयाम दे रहा है। ये केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, उन्नत डेटा विश्लेषण और ऑटोमेशन जैसी आधुनिक तकनीकों के नवाचार केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये तकनीकें विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में स्केलेबल, प्रोडक्टिव एवं कॉस्ट–इफेक्टिव डिजिटल सॉल्यूशन विकसित कर डिजिटल परिवर्तन को संभव बनाती है।

इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र (जी.सी.सी.) नीति–2026 को प्रतिपादित करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त जी.सी.सी. नीति–2026 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है :–

(क) उन्नत अनुसंधान और औद्योगिक विकास एकीकरण के माध्यम से एक सशक्त नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना, जिससे सतत् विकास वैश्विक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जा सके।

(ख) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित करना एवं निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना तथा टेक प्रोफेसनल्स हेतु रोजगार सृजन।

(ग) राज्य को 'ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज' में अग्रणी बनाना, इसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ रणनीतिक साझेदारी स्थापित करना और बौद्धिक संपदा ढांचे को सुदृढ़ करना।

(घ) उभरती तकनीकों को मूल्य श्रृंखलाओं में समाहित कर क्षेत्रीय विकास को गति देना, जिससे उत्पादकता में वृद्धि हो और संतुलित एवं समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित हो।

25.01.26

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव।

GCC Policy 2025-06-IT-23-2025

(19)

सं0सं0--7 / बजट--46--43 / 2025--26

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस नोट

राज्य की जनता को मौलिक एवं मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता एवं गुणवत्तायुक्त चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के निर्माणाधीन चिकित्सकीय संस्थानों के लंबित विपत्रों का यथाशीघ्र भुगतान कराया जाना आवश्यक है। परियोजनाओं को ससमय पूर्ण किए जाने के उद्देश्य से राज्य के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण कार्य में अबतक लबित विपत्रों के विरूद्ध भुगतान हेतु रू0 5,00,00,00,000/-- (रूपये पॉच अरब) मात्र राशि की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की गई है।

सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

20

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के परिपत्रांक–1876 दिनांक–19.10.06 के आलोक में।

प्रेस नोट

राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2016 के अनुरूप उद्यमियों को उनके लंबित दावों का भुगतान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल रू0 1700.00 करोड़ (एक हजार सात सौ करोड़ रूपये) मात्र का अतिरिक्त उपबंध बिहार आकस्मिकता निधि (बी0सी0एफ0) से प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना ।

(21)

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेस नोट

बिहार निवास, नई दिल्ली के पुनर्विकास हेतु आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के निमित्त अधिरोपित अधिभार से संबंधित राशि रूपये 6,01,48,000/– (छः करोड़ एक लाख अड़तालीस हजार रूपये) मात्र वित्तीय वर्ष 2025–26 में बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(अरविन्द कुमार वर्मा)
सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार
गृह विभाग
प्रेस नोट

विषय :– श्री रंजीत शंकर प्रसाद, (बिहार अभियोजन सेवा) जिला अभियोजन पदाधिकारी (नया पदनाम मुख्य अभियोजक) की संविदा अवधि को पूर्व से निर्धारित दर एवं शर्तों के आधार पर अगले 01 (एक) वर्ष (दिनांक–01.02.2026 से 31.01.2027) तक विस्तारित किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत।

(प्रणव कुमार)
सरकार के सचिव,
गृह विभाग, बिहार, पटना।

23

बिहार सरकार
राजस्व एवं सुधार विभाग

प्रेस नोट

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न राजस्व मामलों यथा – भूमि सुधार कार्यक्रमों का संचालन, भूमि विवादों का निपटारा, दाखिल–खारिज अपील वादों का निपटारा, भू–राजस्व वसूली, भू–लगान निर्धारण, गैर मजरूआ मालिक/बकाश्त भूमि पर रैयती दावों का निपटारा, भू–हदबंदी वादों की सुनवाई, भू–दान भूमि संबंधी दान पत्रों की सम्पुष्टि, इत्यादि से संबंधित कार्य एवं दायित्व क्षेत्रीय राजस्व प्रशासन के अधीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं को आवंटित है।

मुख्यालय स्तर, प्रमण्डल स्तर एवं जिला स्तर पर आयोजित विभिन्न विभागीय समीक्षा बैठकों में यह विचार प्रस्तुत किया जाता रहा है कि अनुमंडल स्तर पर सृजित भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं समकक्ष के पद को "अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी एवं समकक्ष" से पदनामित किया जाना आवश्यक है ताकि पदस्थापित पदाधिकारी का पदनाम कार्य एवं दायित्व के अनुरूप हो।

"अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी" को राजस्व विभागीय मामलों यथा– अंचल के कर्मचारी तथा अंचल कार्यालयों का निरीक्षण तथा लेखाओं की जाँच, भू–राजस्व की वसूली का पर्यवेक्षण, सैरातों की बन्दोबस्ती तथा ई–मापी, परिमार्जन प्लस, भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र, लोक भूमि की सुरक्षा, भू–अभिलेख डिजिटाईजेशन, भू–सर्वेक्षण का पर्यवेक्षण एवं लोक सेवाओं का अधिकार, इत्यादि से संबंधित कार्य एवं दायित्व निर्धारित किया गया है।

उक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 (समय–समय पर यथा–संशोधित) में प्रयुक्त पदनाम – भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं समकक्ष – को "अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी एवं समकक्ष" के पदनाम से प्रतिस्थापित करते हुए "अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी" का कार्य एवं दायित्व निर्धारित किया गया है।

29/01/2026

(सी0 के0 अनिल),
प्रधान सचिव।

29

45/70

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

प्रेस नोट

बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने हेतु सशक्त बनाना है। योजना के तहत पहले चरण में 10,000 रुपये की प्रारंभिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जबकि व्यवसाय शुरू करने के छह माह बाद आवश्यकता अनुसार 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के माध्यम से लाभुकों का सूक्ष्म व्यवसाय के विकास एवं उसके प्रबंधन से संबन्धित विषयों पर प्रशिक्षण देते हुए क्षमता विकास किया जायेगा। साथ ही, लाभुक उद्यमी को कार्य क्षेत्र में आवश्यक बुनियादी एवं उन्नत कौशल विकास तथा वित्तीय साक्षरता संबंधी कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इसके अलावा, ब्रांडिंग पैकेजिंग एवं मार्केटिंग तथा वैधानिक अनुपालन से संबंधित विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। सभी प्रकारों के प्रशिक्षण संबंधी सूचना के संधारण हेतु लाभुकों को डिजिटल प्रशिक्षण पासबुक जारी किया जायेगा।

इस योजनान्तर्गत बेहतर प्रदर्शन कर रहे लाभुकों को वन–स्टॉप फैसिलिटी एवं इन्क्युबेशन केंद्रों से जोड़ने की व्यवस्था भी की जायेगी। साथ ही, लाभुकों को विश्व बैंक संपोषित BRTP सहित विभिन्न विभागों द्वारा विकसित हो रहे हाट–बाजारों, स्थानीय बाजारों तथा समयानुसार ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा, ताकि उत्पादों की बिक्री, आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ीकरण, बाजार विस्तार, उत्पाद विविधीकरण और सतत व्यवसायिक वृद्धि सुनिश्चित हो सके।

इस योजना के क्रियान्वयन से न सिर्फ महिलाओं की स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी बल्कि राज्य के अंदर ही रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे, उनके कौशल में वृद्धि होगी एवं उनकी आर्थिक स्थिति सशक्त होगी जिससे मजबूरी में लोगों को रोजगार के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

(हिमांशु शर्मा)
आयुक्त स्वरोजगार

23

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

पर्यटन गतिविधियों को पर्यावरणीय संतुलन के साथ जोड़ते हुए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करने एवं पर्यटन क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता बनाये रखते हुए स्थानीय समुदायों की सहभागिता, पर्यटन क्षेत्र में निवेश और रोजगार के नए आयाम खोलने के उद्देश्य से ''बिहार इको–टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी'' के गठन हेतु संगम ज्ञापन एवं उप–नियम 2026 की स्वीकृति का निर्णय लिया गया।

(आनन्द किशोर)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

उद्योग विभाग
बिहार, पटना

23

प्रेस–नोट

सेमीकंडक्टर आधुनिक प्रौद्योगिकी के केंद्र में हैं। ये स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, संचार, रक्षा एवं अंतरिक्ष जैसे आवश्यक प्रणालियों को शक्ति प्रदान करते हैं। भारत का चिप बाजार तीव्र गति से बढ़ रहा है और वर्ष 2030 तक इसके 100–110 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप, बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तथा "सात निश्चय 3.0 – तृतीय एजेंडा : समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार" की परिकल्पना द्वारा निर्देशित होकर राज्य को पूर्वी भारत के तकनीकी केंद्र (ईस्टर्न टेक हब) के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखती है। तदनुसार "बिहार सेमीकंडक्टर पालिसी–2026" लागू की गई है।

इसके तहत पूंजीगत सब्सिडी ,भूमि सबंधी प्रोत्साहन में अनुमोदित परियोजना लागत के प्रति ₹100 करोड़ के लिए ₹1 की टोकन राशि पर 1 एकड़ भूमि ,इकाइयों के लिए स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण शुल्क और भूमि सम्परिवर्तन शुल्क से छूट आदि का प्रावधान किया गया है।

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

उद्योग विभाग
बिहार, पटना

प्रेस–नोट

राज्य में कृषि, पशुपालन, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प ग्रामीण उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग के साथ–साथ अन्य विभागों से संबंधित उत्पादों के समुचित विपणन के एकीकृत प्रबंधन एवं नियमन हेतु "बिहार राज्य विपणन प्राधिकार" के गठन, बिहार सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत इसके निबंधन एवं इससे संबंधित "संगम ज्ञापन एवं नियम" की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

इस के गठन से राज्य में और राज्य के बाहर कृषि एवं अन्य संबंधित गति विधियों, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, ग्रामीण, कुटीर एवं लघु उद्योगों के उत्पादों की उपलब्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए इनके मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग और विपणन का समुचित प्रबंधन और नियमन का समेकित प्लेटफार्म तैयार होगा। इससे न केवल निर्यात और निवेशकों को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि गुणवत्ता पूर्ण रोजगार के अवसर भी बढेंगे। साथ ही किसानों एवं उद्यमियों को प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त करने में भी सुगमता होगी।

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

29
45/70

संचिका संख्या- 3/एम०-04/2026

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेस नोट

बिहार सरकार के सरकारी सेवकों के आचरण के संदर्भ में "बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976" (समय–समय पर यथासंशोधित) अधिसूचित है।

"बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976" (समय–समय पर यथासंशोधित) में नियम–9 में उपनियम–(2) के बाद उपनियम–(3) का जोड़ा जाना प्रस्तावित है, जो **Social Media Platforms एवं Instant Messaging Applications के अनुप्रयोग** से संबंधित है।

29/01/26

(रजनीश कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

(39)

सं0सं0–12/पद सृजन–2201/2026

विभाग का नाम–सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेस नोट

राज्य के विभिन्न जिलों एवं अनुमंडल स्तर पर भू–राजस्व संबंधी कार्यों के सफल क्रियान्वयन तथा अनुमंडल एवं जिला के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधीन बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के लिये मूल कोटि के अपुनरीक्षित पे बैंड–9,300 – 34,800/–, ग्रेड पे–5,400/– तथा पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल–9 में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के पदनाम से कुल–101 पदों का स्थायी रूप से सृजन।

हस्ताक्षर–

नाम–डॉ0 बी0 राजेन्दर

पदनाम–सरकार के अपर मुख्य सचिव

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

31

प्रेस नोट

बिहार राज्य के सात निश्चय–3 अंतर्गत निर्धारित कार्य के आलोक में अधिष्ठापित होने वाले चीनी मिलों की संभाव्यता (feasibility) के बिन्दु पर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने, चीनी मिल की स्थापना हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने तथा अन्य सेवाओं के लिए नामांकन के आधार पर राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लि० की सेवा लिए जाने एवं विभिन्न सेवाओं के लिए दर की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(धर्मेन्द्र सिंह) 28.01.15
सरकार के सचिव।

(32)

प्रेस नोट

नवगठित "सिविल विमानन विभाग" में विभिन्न संवर्ग के 99 नये पदों के सृजन, वायुयान संगठन निदेशालय एवं उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय में पूर्व से सृजित 176 पदों को विभाग में सम्मिलित/हस्तांतरण किये जाने/पूर्व से सृजित 04 पदों के प्रत्यर्पण/कतिपय पदों के पदनाम एवं प्रकृति में परिवर्तन तथा कतिपय पदों के अवक्रमण/उत्क्रमण के संबंध में।

मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–09.12.2025 में लिये गये निर्णय के आलोक में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक–1569, दिनांक–10.12.2025 द्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय–समय पर यथा संशोधित) में संशोधन करते हुए सिविल विमानन निदेशालय (सम्प्रति वायुयान संगठन निदेशालय एवं उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय) को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से पृथक करते हुए कार्यपालिका नियमावली के क्रमांक–48 पर नये **सिविल विमानन विभाग** का गठन किया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की उपरोक्त अधिसूचना में विमानन से संबंधित कार्यों को सिविल विमानन विभाग को आवंटित किया गया है।

उक्त के फलस्वरूप नये सिविल विमानन विभाग के सुलभ एवं सुचारू संचालन हेतु विभागीय संरचना एवं इसके अनुरूप पूर्व के वायुयान संगठन निदेशालय एवं उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय में पूर्व से सृजित 176 पदों के सिविल विमानन विभाग में हस्तांतरण/समायोजन, 99 नये पदों के सृजन, 04 पदों के प्रत्यर्पण तथा कतिपय पदों के आमेलन/वेतन उत्क्रमण/अवक्रमण/पदनाम एवं प्रकृति में परिवर्तन की स्वीकृति।

29.12.25

(अखिलेश कुमार सिंह)
अपर सचिव